भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-378

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा फसल-ठूँठ की खरीद

***378. श्री आनन्द शर्माः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने अपने विद्युत संयंत्रों के लिए किसानों से फसलों की ठूँठ खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः खरीदे जाने हेतु प्रस्तावित फसल-ठूँठ की मात्रा और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) फसल-ठूँठ का ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने से अनुमानतः कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा फसल-ठूँठ की खरीद " के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 378 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : फसल-ठूँठ को विद्युत संयंत्रों में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसे विद्युत संयंत्रों में बायोमास पैलेटों और पके हुए बायोमास पैलेटों/विशिष्ट गुणवत्ता वाली ब्रिकेटों में बदलने के बाद तथा कोयला के साथ ऐसी 10% ब्रिकेटों को जलाकर उपयोग किया जा सकता है।

एनटीपीसी ने एनटीपीसी दादरी विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए 1000 टन प्रति दिन (टीपीडी) बायोमास पैलेट (500 टीपीडी बिना-पके पैलेट और 500 टीपीडी पके हुए पैलेट) खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। इसके लिए निविदा आमंत्रित करने के नोटिस (एनआईटी) 30.01.2018 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। तकनीकी बोलियां प्राप्त हो गई हैं।

बायोमास पैलेटों और पके हुए बायोमास पैलेटों/ब्रिकेटों की खरीददारी खुली घरेलू बोली के माध्यम से होती है। देश के किसी भाग से बोली लगाने वाले बोली में भाग ले सकते हैं। बोली का मूल्यांकन बोली लगाने वाले के द्वारा उद्धृत मूल्य, जिसमें परिवहन लागत शामिल है, के आधार पर किया जाएगा।

(ग) : 1000 टीपीडी बायोमास पैलेटों में लगभग 65 मेगावाट अथवा 1.56 मिलियन यूनिट विद्युत प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता होती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-382

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

देश में गांवों का विद्युतीकरण

***382. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रमः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान, देश में कितने गांवों को संपूर्ण विद्युतीकरण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उन्हें पूर्णरूपेण विद्युत की आपूर्ति कर दी गई है;

(ख) देश में, राज्य-वार, ऐसे कितने गांव हैं जहां पर अभी तक विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है; और

(ग) क्या सरकार इन गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"देश में गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 382 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ग) : 2017-18 (26.03.2018 तक) सहित विगत 3 वर्षों के दौरान 16,673 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है। शेष 581 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों का 01.05.2018 तक विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है। विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य राज्यवार गैर - विद्युतीकृत गाँव **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है। विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकार /डिस्कॉम/विद्युत यूटिलिटी के क्षेत्राधिकार में आती है। तथापि, निरंतर विद्युत आपूर्ति को सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार ने सभी को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ "सभी के लिए 24X7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई विद्युत आपूर्ति के राज्यवार औसत घंटों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

****

<u>अनुबंध</u>-I

"देश में गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

गैर-विद्युतीकृत गाँव की राज्यवार स्थिति

(26.03.2018 के अनुसार)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**गैर-विद्युतीकृत गाँव (01.04.2015 की रिपोर्ट के अनुसार 18,452)**
1	अरुणाचल प्रदेश	413
2	छत्तीसगढ़	58
3	जम्मू एवं कश्मीर	66
4	मध्य प्रदेश	21
5	मिजोरम	2
6	ओडिशा	7
7	उत्तराखण्ड	14
कुल		**581**

****

अनुबंध-II

"देश में गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की स्थिति

महीना : जनवरी, 2018

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**एक दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे**
1	आंध्र प्रदेश	23.99
2	अरुणाचल प्रदेश	14.30
3	असम	18.33
4	बिहार	16.45
5	छत्तीसगढ़	23.00
6	गुजरात	24.00
7	हरियाणा	14.91
8	हिमाचल प्रदेश	24.00
9	जम्मू एवं कश्मीर	13.5
10	झारखण्ड	18.13
11	कर्नाटक	19.81
12	केरल	23.00
13	मध्य प्रदेश	23.71
14	महाराष्ट्र	23.32
15	मणिपुर*	22.38
16	मेघालय	21.50
17	मिजोरम	11.50
18	नागालैण्ड*	20.00
19	ओडिशा	20.75
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	22.00
22	सिक्किम	17.5
23	तमिलनाडु	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश*	17.72
27	उत्तराखण्ड*	23.00
28	पश्चिम बंगाल	24.00

** नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश एवं मणिपुर के दिसंबर, 2017 महीने तक के आंकड़े उत्तराखण्ड के जनवरी, 2017 महीने के आंकड़े शामिल हैं।*

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4156

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

दबावग्रस्त निजी विद्युत संयंत्रों को बचाने के लिए होल्डिंग कम्पनी स्थापित करना

4156. श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने देश में ऋण ग्रस्त निजी विद्युत संयंत्रों की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ऋणग्रस्त निजी विद्युत संयंत्र को अधिगृहीत करने तथा इन कंपनियों को चलाने के लिए एन.टी.पी.सी., पी.एफ.सी., आर.ई.सी. तथा बैंकों की मदद से होल्डिंग कम्पनी स्थापित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समीक्षा बैठक के निष्कर्ष क्या रहे; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क), (ख) और (घ) : सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार 34 दबावग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के दौरान, सरकार ने विद्युत क्षेत्र में दबाव के प्रमुख कारणों को चिह्नित किया है, जो निम्नानुसार हैं:

(i) ईंधन आपूर्ति करार न होना - नियमित कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 17.05.2017 को विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात् शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एण्ड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया) का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत पारदर्शी बोली प्रक्रिया में भविष्य में किए जाने वाले दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) और मध्यावधि विद्युत क्रय करारों के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को कोयला उपलब्ध करवाया जाता है। शक्ति के अंतर्गत अब तक 11,549 मेगावाट की कुल क्षमता की 10 परियोजनाओं को आश्वासन-पत्र (एलओए) जारी किया गया है।

(ii) विद्युत क्रय करार (पीपीए) व्यवस्था का अभाव - विद्युत की मांग को सुधारने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क. देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्न अराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम।

ख. प्रत्येक घर, उद्योग, वाणिज्यिक व्यापार, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा स्थापना के लिए विद्युत की निर्बाध गुणवत्ता लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए विद्युत (पीएफए) पहल।

ग. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई); ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

घ. शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण; शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र के आईटी सक्षमीकरण हेतु एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)।

ङ. पारेषण अवरोधों को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता संवर्द्धन।

च. विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयला के उपयोग में लचीलापन।

छ. सौभाग्य योजनाः निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों, राज्य विद्युत विभागों और ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियों सहित सभी डिस्कॉम डीडीयूजीजेवाई के अनुसार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

(iii) इक्विटी लगाने और ऋण चुकाने के लिए प्रवर्तक की असमर्थता।

(iv) विनियामक एवं संविदा संबंधी मामले।

(ग) : जी, नहीं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4157

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

प्रत्येक घर को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति

4157. श्री महेश पोद्दारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश में हर घर में सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे बिजली देने की दिशा में सरकार तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन वितरण स्तर पर अभी भी प्रतिस्पर्धा की कमी है;

(ख) क्या सरकार हर राज्य में वितरण कार्य हेतु प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में कुछ कदम उठा रही है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : सरकार ने वर्ष 2019 से सभी उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से अनुरोध किया है। भारत सरकार भी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अंतर्राज्यीय पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण में राज्यों की सहायता कर रही है। भारत सरकार ने 25 सितम्बर, 2017 को "सौभाग्य" स्कीम भी बनाई है जो देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों का 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण करने का प्रावधान करती है। इन पहलों का उद्देश्य वर्ष 2019 तक उपभोक्ताओं को निर्बाध सस्ती गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ बिना कनेक्शन वाले सभी घरों को बिजली की पहुंच प्रदान कराना है।

जहां तक वितरण स्तर पर प्रतिस्पर्धा का संबंध है, यह नोट किया जाए कि देश में विद्युत एक विनियमित व्यवसाय है और विद्युत का वितरण एक लाइसेंसधारी गतिविधि है। वितरण लाइसेंस संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए जाते हैं।

(ख) से (घ) : विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था जिसे 19.12.2014 को लोकसभा के समक्ष पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक में एक विनियमित गतिविधि के रूप में वहन (एक वितरण नेटवर्क) के साथ जारी रखते हुए अंतःवस्तु (विद्युत आपूर्ति व्यवसाय) में बहु आपूर्ति लाइसेंसदारों की शुरुआत करके वितरण क्षेत्र में वहन

एवं अंतःवस्तु को पृथक करने का प्रस्ताव किया गया है। बाद में विधेयक को ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया। विस्तृत जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट 07.05.2015 को प्रस्तुत कर दी है। स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर विद्युत (संशोधन) विधेयक में और संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वितरण क्षेत्र में वहन एवं अंतःवस्तु के पृथक्कीकरण की परिकल्पना के लागू किए जाने से उपभोक्ताओं को विकल्प देकर वितरण क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा एवं दक्षता लाने की अपेक्षा की गई है। भारत सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4158

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

हिमाचल प्रदेश को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति

4158. श्रीमती विप्लव ठाकुरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक घर, औद्योगिक तथा कृषिगत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता प्रदान की है/करने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक घर तथा औद्योगिक एवं कृषिगत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली प्रदान किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है तथा विद्युत का वितरण और संबद्ध कार्यों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने सभी आवासों , औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज को तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। 01.04.2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्य सरकारों ने "सभी के लिए 24X7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) आदि सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 16,320 करोड़ रुपये, जिसमें 12,320.00 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल हैं, के परिव्यय से सितंबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सभी शेष गैर -विद्युतीकृत घरों को 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 289.71 करोड़ रुपये की राशि और आईपीडीएस के अंतर्गत 11.79 करोड़ रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक जारी की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4159

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

तेलंगाना में यादाद्री ताप विद्युत संयंत्र को पर्यावरण मंजूरी

4159. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय को तेलंगाना सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे 4000 मेगावाट के यादाद्री ताप विद्युत संयंत्र की पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य का निष्पादन कब तक शुरू किया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): जी, हां। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा दिनांक 29.06.2017 को तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन कारपोरेशन (टीएसजेनको) द्वारा वीर्लापलेम गांव, दमेरचेरला मंडल, जिला नलगोंडा , तेलंगाना में 5x800 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल यूनिटों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) जारी कर दी गई है।

(ग): दिनांक 17.10.2017 को परियोजना निष्पादन की शून्य तिथि के साथ दिनांक 17.10.2017 को मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को आशय पत्र जारी कर दिया गया है। परियाजना पूरी होने की समय-सीमा पहली दो यूनिटों के लिए 36 माह अर्थात 16.10.2020 तक तथा शेष तीन यूनिटों के लिए 48 माह अर्थात 16.10.2021 तक है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4160

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

ए.टी. तथा सी. हानियों को कम करने के लिए उठाए गए कदम

4160. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विद्युत क्षेत्र में समेकित तकनीकी तथा वाणिज्यिक (ए.टी. एण्ड सी.) हानि हर वर्ष बढ़ती जा रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने ए.टी. एण्ड सी. हानियों को कम करने तथा ऊर्जा की बचत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा तैयार की गई राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए वितरण यूटिलिटियों के लिए समग्र एटीएण्डसी हानियां निम्नानुसार हैं:

	2013-14	**2014-15**	**2015-16**
एटीएण्डसी हानि (%)	22.62	25.72	23.98

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों तथा टीएण्डडी हानियों के लिए उत्तरदायी कारकों में मौजूदा लाइनों तथा उप-केंद्र उपस्कर पर अतिरिक्त भार, कम एचटी:एलटी लाइन अनुपात , उपस्कर की खराब मरम्मत एवं रख-रखाव , कम मीटरिंग/बिलिंग/ संग्रहण दक्षता, विद्युत की चोरी तथा छोटी चोरी एवं मीटरों के साथ छेड़खानी शामिल है।

(ग) और (घ) : वितरण नेटवर्क में एटीएण्डसी हानियों की कमी का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विभाग/यूटिलिटियों का होता है। तथापि , एटीएण्डसी हानियों में कमी करने के लिए तथा विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) , दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) , राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी योजनाएं शुरू की हैं।

****